न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 115/2021 तथा 48/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हुकमाराम देवासी पुत्र मंगलाराम जाति देवासी निवासी मकान नं0 315, देवकुंज, नयागांव तह0 व जिला पाली राज0।		1. लक्ष्मीदेवी पुत्री मिश्रीलाल पत्नी नेनाराम जाति माली निवासी पाली दरवाजा के अन्दर, सोजत सिटी तह0 सोजत, जिला पाली राज0।
2. जयेश सोलंकी पुत्र रामकिशन सोलंकी जाति कलाल निवासी 11, जंगीवाड़ा, कुम्हारों का बास, पाली तह0 व जिला पाली।		2. बाबुलाल पुत्र अमरचन्द जाति माली निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री ताराचंद टांक अधिवक्ता प्रति सं0 02 उप0।**

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक — 13/08/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 783 रकबा 1.3400 है0, खसरा नंबर 788 रकबा 1.0600 है0, खसरा नंबर 790 रकबा 1.7000 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादी द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण सं0 115/2021 तथा 48/2021 को कन्सोलिडेट कर उभय पक्षकारान की सहमति से दिनांक 22.01.2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/936 दिनांक 26.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.06.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 17.06.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 783 रकबा 1.3400 है0, खसरा नंबर 788 रकबा 1.0600 है0, खसरा नंबर 790 रकबा 1.7000 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम सोजत चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा
1.	जयेश सोलंकी पुत्र रामकिशन सोलंकी कौम कलाल सा0 पाली 1/2 हुकमाराम पुत्र मंगलाराम कौम देवासी सा0 नया गांव तह0 पाली खातेदारी	790 788/1 783/1	0.8500 0.2932 0.3900
	कुल	03	1.5332
2.	लक्ष्मी देवी पुत्री मिश्रीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	790/1 788/2 783/2	0.8500 0.4934 0.5400
	कुल	03	1.8834
3.	बाबुलाल पुत्र अमरचन्द कौम माली सा. देह खातेदार	788 783	0.2734 0.4100
	कुल	02	0.6834

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेघाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 13/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत